322/
4.11.18

संख्या : /ज0प्र0अनु0/2017-05-01(02)/2017

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य परियोजना निदेशक,
जलागम प्रबन्ध निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कृषि एवं विपणन अनुभाग(जलागम) देहरादून : दिनांक 03 नवम्बर, 2017

विषयः वित्तीय वर्ष 2017-18 में उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत बजट प्राविधान के सापेक्ष शेष अवधि हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 610/3(150)XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 एवं अपर निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय के पत्रसंख्या 1315/3-2(ब) दिनांक 06 नवम्बर, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि में से संलग्न-1 में अंकित विवरणानुसार रु0 3906.40 लाख (रु0 उनतालिस करोड़ छः लाख चालिस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करने हैं:-

2. उक्तानुसार आपके निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि को सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों के निवर्तन पर रख दिया जायेगा।

2(1). उक्त निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आवंटन/व्यय योजना हेतु लागू वर्तमान नियमों, आदेशों, निर्धारित मानकों, समय-समय पर राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा निर्गम मार्ग निर्देशों/गाईड लाईन्स के अनुसार उसी कार्य/योजना हेतु किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

2(2). उक्त आवंटित धनराशि का उपयोग किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, कि जिसे व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका अथवा मूल आदेशों के अधीन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो। ऐसे में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व्यय के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।

2(3). स्वीकृत की जा रही धनराशि का यथावश्यक किश्तों में आहरण किया जायेगा और पूर्व आहरित धनराशि के पूर्ण उपयोग के बाद ही अगली किश्त का कोषागार से आहरण किया जायेगा।

2(4) उक्तानुसार एकमुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

2(5) उक्तानुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि का समयान्तर्गत उपयोग करके कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण तथा धनराशि की प्रतिपूर्ति का विवरण समयान्तर्गत सम्बन्धित को प्रेषित करते हुये धनराशि की प्रतिपूर्ति यथासमय करने के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017–18 के "अनुदान संख्या –17" के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2401–फसल कृषि कर्म–001–निदेशन तथा प्रशासन–97–बाह्य सहायतित योजना–9701–उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना के अन्तर्गत संलग्न–1 के अनुसार सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जाएगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/ XXVII(1)/2016 दिनांक 28.03.2012 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में www.cts.uk.gov.in से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/ अलॉटमेंट आई0डी0 S1712170040 के अन्तर्गत तथा वित्त विभाग के उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 31.03.2017 एवं 30.06.2017 के द्वारा दिए गये निर्देशों के कम में निर्गत किये जा रहे है।

संलग्न–सूची

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव

संख्या : 745 /ज0प्र0अनु0/2017–05–01(02)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
2 महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3 आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमॉयू मण्डल, नैनीताल।
4 समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5 निदेशक कोषागार उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़ देहरादून।
6 बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7 वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8 निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
अपर सचिव